# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2016/00008

1. रामकन्या पत्नी रामलाल आयु 65 वर्ष जाति लश्करी निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी हनुमान जी के मंदिर के पास, इन्द्रगांधी नगर, डीसीएम तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मनोज पुत्र राम लाल आयु 35 साल जाति लश्करी निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी हनुमान जी के मंदिर के पास, इन्द्रागॉधी नगर, डीसीएम तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये मुख्तार आम जसवंत कुमार पुत्र घांसी लाल निवासी नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. ग्यारसी बाई बेवा भैरू लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा (नाम तर्क) ।
2. गुलाब बाई पुत्री भैरूलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मोहनी बाई पत्नी सुखलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. गीता बाई पत्नी पूर्णमल जाति लश्करी निवासी नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. इन्द्रा बाई पत्नी धनराज जाति लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 22.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 234 की रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 152 की रकबा 04 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 227 रकबा 0.70 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 272 रकबा 0.03 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.73 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के परिवार की पैतृक सम्पत्ति है । उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के दादा व दादी ससुर गणपति के नाम व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के दादा व दादी ससुर देव्या के नाम दर्ज थी । देव्या जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि 1/2 हिस्से में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पति व पिता भैरूलाल के नाम शामलाती खाते में दर्ज हुई । दौराने सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पति व पिता भैरूलाल के नाम खाते में दर्ज कर दी जो कि अवैध, गैर कानूनी व कानूनन प्रभावशून्य है । सेटलमेंट को किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण आराजी भैरूलाल के खाते दर्ज करने का अधिकार नहीं था । उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पारिवारिक शजरे के अनुसार खाते में दर्ज चली आ रही थी तथा 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा भी प्रार्थीगण का चला आ रहा था । प्रार्थीगण के पति व पिता के द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो पूर्ण रूप से एज विड्रोन खारिज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण वाद को विड्रो करवाने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । इसी दौरान अप्रार्थीगण द्वारा जालसाजी करके उक्त भूमि को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा दिनांक 30.10.2013 को जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी क्रम 03 लगाय 5 के नाम गैर कानूनी रूप से बेचान कर दी । प्रार्थीगण विवादित भूमि के विक्रय पत्र के पक्षकार नहीं हैं तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी क्रम 1 व 2 के हक व अधिकार निहित हैं । उक्त गलत बेचान के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और अन्यत्र बेचान करने पर आमादा हैं । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है ।

3. अतः प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करने दें तथा उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी में सेटलमेंट विभाग ने नाम हटाया है जिसको कानूनन अधिकार प्राप्त

नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 14.12.2015 को नकल दी गई । नकल मिलने की दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 134 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 152 रकबा 04 बिस्वा कुल 02 किता की 04 बींघ 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में देव्या, गणपति बेटे हरलिया के नाम दर्ज थी । सेटलमेंट में इसके नये नम्बर खसरा नम्बर 227 रकबा 0.70 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 272 रकबा 0.03 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.70 हैक्टर कायम किये गये हैं । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण के दादा एवं दादी ससुर गणपत और प्रतिपक्षीगण के दादा एवं दारी ससुर देव्या के नाम दर्ज है । देव्या की मृत्यु के बाद उनके 1/2 हिस्सा भैरूलाल के नाम दर्ज हुआ इसी दौरान सेटलमेंट हुआ और बिना किसी सक्षम अधिकार के सेटलमेंट ने सम्पूर्ण आराजी भैरूलाल के नाम दर्ज कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी में पारिवारिक शजरे के अनुसार प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है और अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्से पर कब्जा है। प्रतिपक्षीगण राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्टगण खातेदार कृषक हैं । अपीलान्टगण के द्वारा पेश की गई निगरानी जैरकार है और उनके द्वारा यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 बहाल रखा जावे।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद

अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069–71 के अनुसार वादग्रस्त आराजी भैरूलाल के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 134 और 152 के हाल खसरा नम्बर 227 और 272 बने हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 134 और 152 देव्या, गणपत पिसरान हरला के खाते में दर्ज है । भू–प्रबन्ध विभाग नकल जमाबन्दी के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 134 और 152 देव्या और गणपत पिसरान हरला के खाते में दर्ज है । अपील में अपीलान्टगण ने एक संशोधित पारिवारिक शजरा पेश किया है जिसके अनुसार देव्या के वारिस भैरूलाल हैं और भैरूलाल के वारिस ग्यारसी बाई, गुलाब बाई है और गणपत के वारिस रामलाल और रामलाल के वारिस अपीलान्टगण हैं । रेस्पोडेन्ट ने इस पारिवारिक शजरे के संशोधन को स्वीकार करने में अनापत्ति व्यक्त की है । ऐसी स्थिति में पारिवारिक शजरे के अनुसार अपीलान्टगण के दादा गणपत सहखातेदार थे और बाद में उनका नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी भैरूलाल के खाते में दर्ज की गई है । तद्नुसार प्रथमदृष्टया अपीलान्टगण वादग्रस्त आराज़ी में सहखातेदार होने के अधिकारी प्रतीत होते हैं । यद्यपि पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकार मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर यदि रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर देते हैं तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्टगण को होगी । सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वादा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के प्रथमदृष्टया 1/2 हिस्से को रहन, बेचान व अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा